न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 165 सन 2019

अनवान :–

1. राजेन्द्र पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

बनाम

1. जयकरण पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
2. भोलाराम पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
3. राधादेवी पत्नि जयकरण जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
4. गायत्री पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
5. चम्पादेवी पत्नी भालाराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 21.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 53/147 के खसरा न0 34/2 की 5.0600हैक भूमि एवं रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 79/146 के खसरा न0 34/1 की 9.700हैक भूमि जो पूर्व में वादी के दादा रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज थी वादी के दादा रामेश्वरलाल का देहानत होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई जिन्होने खताा विभाजन करवाने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 53/147 की कुल 5.0600हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मोजा जोखासर के खाता संख्या 79/146 की कुल तादादी 9.700हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते